राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 21(2) आयो./ग्रुप–1/2021 जयपुर, दिनांकः 7 JUL 2021

–: कार्यालय आदेश :–

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76) का/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 29.06.2021 द्वारा समस्त राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत राज्य में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया जायेगा। जिन राजकीय कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी।

अतः आयोजना विभाग के समस्त कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑन–लाईन स्वयं निर्धारित समय सीमा में भरने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

–Sd–

(डॉ. भारती दीक्षित)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. निदेशक, मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, जयपुर।
4. निदेशक, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, योजना भवन, जयपुर।
5. आयोजना विभाग के समस्त अनुभाग।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रमर, आयोजना (कम्प्यूटर सैल) विभाग को आयोजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(स्नेहा सिंघानी)
सहायक शासन सचिव

D:\Lplan\ofc work\office_order2020

12